

3-4-18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 14.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 117 रकबा 0.16, 118 रकबा 0.17, 119 रकबा 0.02, 216 रकबा 0.24, 217 रकबा 0.27, 218 रकबा 0.22, 219 रकबा 0.23, 220 रकबा 0.40, 221 रकबा 0.01, 222 रकबा 0.30, 223 रकबा 0.01, 224 रकबा 0.40, 226 रकबा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 13 रकबा 2.80 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार का निर्माण नही करे, एवं आने जाने के रास्ते को निर्माण कर अवरुध नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 14.06.2018 को पेश हो।

कश्मीर/अंशरी  
2/30/18

उप सपंड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)



RTI कश्मीर

8-5-18 आज प्रार्थना पत्र "रामगढ उपखण्ड  
हाल 2018" के अन्तर्गत रामगढ उपखण्ड  
के अन्तर्गत रामगढ उपखण्ड उपखण्ड उपखण्ड  
के अन्तर्गत रामगढ उपखण्ड उपखण्ड उपखण्ड  
के अन्तर्गत रामगढ उपखण्ड उपखण्ड उपखण्ड  
के अन्तर्गत रामगढ उपखण्ड उपखण्ड उपखण्ड

उप सपंड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)